न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

30 / 2024

श्री मोहम्मद उमर पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला गोल, बडा कुंआ, टोंक तहसील टोंक व जिला टोंक राज0

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.09..2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 तहसीलदार टोंक के आदेश कमांक 3261 दिनांक 30.10.2000 की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 973 दिनांक 09.07.2024, 1027 दिनांक 24.07.2024 व 1092 दिनांक 06.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 9753 दिनांक 13.08.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में उनके पत्र कमांक 5672 दिनांक 28.05.2024 से अपीलार्थी को सूचना का निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा आदिनांक भी उक्त शुल्क जमा नहीं कराया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक